



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- करौली में नगर परिषद-हिण्डौन के कार्मिकों के नाम पर 12 हजार रुपये रिश्वत लेते दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) को रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 03 जून/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज गुरुवार को हिण्डौन करौली में कार्यवाही करते हुये योगेश कुमार शर्मा पूर्व संविदाकर्मी नगर परिषद, हिण्डौन (प्राइवेट व्यक्ति) को नगर परिषद हिण्डौन के अधिकारियों के नाम पर परिवादी से 12 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्लॉट का पट्टा जारी करवाने की एवज में योगेश कुमार शर्मा पूर्व संविदाकर्मी नगर परिषद, हिण्डौन (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा नगर परिषद, हिण्डौन के सहायक नगर नियोजक एवं कनिष्ठ लिपिक के नाम पर 12 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी करौली इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अमरसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी जटवाड़ा, पुलिस थाना सूरोट, जिला करौली पूर्व संविदाकर्मी नगर परिषद, हिण्डौन (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।